

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014—श्रावण 8, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्र. एफ. 4-18-2013--पचपन-2.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 36 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 1 नवम्बर 2013 में प्रकाशित पृष्ठ क्र. (657) प्रथम परिनियम-26 की कंडिका-03 (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 3 (2) में सत्र 2013-2014 के स्थान पर, सत्र 2014-2015 पढ़ा जाए.
2. परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 3 (2) (क) में सत्र 2013-2014 के स्थान पर, सत्र 2014-2015 के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पढ़ा जाए.
3. परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 3 (2) (ख) में सत्र 2013-2014 के स्थान पर, सत्र 2014-2015 पढ़ा जाए.
4. परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 3 (2) (ग) में सत्र 2014-2015 के स्थान पर, सत्र 2015-2016 पढ़ा जाए.
5. परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 3 (2) (घ) में सत्र 2014-2015 के स्थान पर, सत्र 2015-2016 पढ़ा जाए.

उक्त संशोधन प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्र. एफ. 4-18-2013-पचपन-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-18-2013-पचपन-2, दिनांक 30 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2014

No. F. 4-18-2013-LV-2.—In exercise of the powers conferred by Section 36 read with sub-section (1) of Section 37 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 Year 2011), the State Government, hereby, make following amendments in clause 03(2) of First Statute 26 published on Page No. 657 in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 1st November 2013 :—

1. In Statute No. 26 Section 3(2) instead of “session 2013-14” substituted by “session 2014-15”.
2. In Statute No. 26 Section 3(2)(a) instead of “session 2013-14” substituted by “session 2014-15 of Medical & Dental Collages”.
3. In Statute No. 26 Section 3(2)(b) instead of “session 2013-14” substituted by “session 2014-15”.
4. In Statute No. 26 Section 3(2)(c) instead of “session 2014-15” substituted by “session 2015-16”.
5. In Statute No. 26 Section 3(2)(d) instead of “session 2014-15” substituted by “session 2015-16”.

The Amendments shall come in to force from the date of publication in Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJEEV SHRIVASTAVA, Dy. Secy.